हिन्दी प्रादेशिक समाचार

आकाशवाणी चंडीगढ़

(तिथि 09 अप्रैल 2026, समय 13:05 (5 मिनट)

विश्व बैंक ने मजबूत घरेलू मांग और मुक्त व्यापार समझौतों के कारण मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए भारत में विकास दर का पूर्वानुमान छह दशमलव तीन प्रतिशत से बढ़ाकर छह दशमलव छह प्रतिशत कर दिया है। विश्व बैंक ने आशा व्यक्त की है कि दक्षिण एशिया में भारत विकास का प्रमुख इंजन बना रहेगा।

===

हरियाणा के श्रमिकों ने मंत्रिमंडल द्वारा अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाकर 15,220 रुपये प्रतिमाह करने के निर्णय का स्वागत किया है। इस निर्णय से प्रदेश के लाखों अकुशल श्रमिकों को सीधा लाभ मिलेगा और उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा।

श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि इसी प्रकार, अर्द्ध-कुशल श्रमिकों का वेतन 12430 रुपये से बढ़ा कर 16781 रुपये किया गया है, जिसके अंतर्गत इस श्रेणी के श्रमिकों का लगभग 4351 रुपये वेतन बढ़ेगा। यह लगभग 35 प्रतिशत की वेतन वृद्धि पहली अप्रैल से लागू होगी।

श्री विज ने कहा कि हरियाणा पहला राज्य है जिसने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में ऐतिहासिक एवं दूरदर्शी निर्णय के अंतर्गत चार नई श्रम संहिताएं- वेतन संहिता, 2019; औद्योगिक संबंध संहिता, 2020; सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020; तथा व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020 के लागू होने के उपरांत अपने राज्य में श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन की दरों में भारी वृद्धि की है।

===

डॉ. बी.आर. अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय पलवल में आज मिशन बुनियाद को लेकर अभिविन्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी मामराज रावत,मिशन बुनियाद कार्यक्रम के निदेशक प्रदीप कुमार मौजूद रहे।

श्री प्रदीप कुमार ने बताया कि मिशन बुनियाद कक्षा 9वीं व कक्षा दसवीं के बच्चों के लिए शुरू किया गया है। कार्यक्रम के उद्देश्य सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करना है।

उन्होंने बताया की शुरुआत में इस कार्यालय के अंतर्गत 51 केंद्र खोले गए जो बढ़कर 103 हो गए है। इस कार्यक्रम के लिए चुनाव होने के बाद तीन स्तरीय परीक्षाएं आयोजित की जाती है। इस वर्ष प्रदेश के 97 हजार बच्चों ने पहले स्तर के लिए अपने आप को पंजीकृत किया था। दूसरे स्तर के लिए 24 हजार बच्चों का चयन किया गया। जबकि तीसरे स्तर में 7 हजार बच्चों का चयन किया गया है।

==

हरियाणा में नई शैक्षणिक सत्र 2026 27 से पहली कक्षा में दाखिले के नियमों में बड़ा बदलाव लागू कर दिया गया है। अब केवल उन्हीं बच्चों को पहली कक्षा में प्रवेश मिलेगा जो 6 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं। स्कूल शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव विजय दाहिना दहिया ने बताया कि सरकार ने यह कदम बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा को अधिक मजबूत और व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से उठाया है।

सरकार ने अभिभावकों को राहत देते हुए एक महत्वपूर्ण छूट भी दी है जिन बच्चों की आयु 30 सितंबर तक 6 वर्ष पूरी हो जाएगी वह भी प्रवेश के पात्र होंगे, यानी हरियाणा निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2011 के तहत 6 महीने के विस्तारित अवधि में जैसे ही बच्चा 6 साल का होगा उसी दिन से उसे पहले कक्षा में दाखिला मिल सकेगा।

==